



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP03015073000126P
Certificate Issued Date : 23-Mar-2017 05:40 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0103614155703610P
Purchased by : GARV BUILDTECH PVT LTD
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : KHASRA NO.2438 MI. AND OTHERS VILLAGE-KALLIPASCHIM, PARGANA-BIJNORE, TEH-SAROJANI NAGAR LKO.
Consideration Price (Rs.) : 1,16,28,000
(One Crore Sixteen Lakh Twenty Eight Thousand only)
First Party : CHARAN SINGH SON OF VIJAYPAL SINGH
Second Party : GARV BUILDTECH PVT LTD
Stamp Duty Paid By : GARV BUILDTECH PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 8,15,000
(Eight Lakh Fifteen Thousand only)



-----Please write or type below this line-----



बृजेश कुमार
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ



VO 0006728508

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भाग 1

| प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला |

उप निबन्धक(प्रथम)

क्रम सं० 8765

लखनऊ

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 24-Mar-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम गर्व बिल्डटेक प्रा०लि०द्वारा अधि०ह० अशोक कुमार

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 11,628,000. / 11,628,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 80
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविधि
7. यात्रिक भत्ता


1 से 6 तक का योग 20,080.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 24-Mar-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

वापस करने के लिए तैयार किया 24-Mar-2017

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



विक्रय मूल्य रू० - 1,16,28,000/-

मालियत रू० - 1,16,28,000/-

जनरल स्टाम्प रू० - 8,15,000/-

परगना - बिजनौर

-: लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण :-

भूमि का प्रकार	:	कृषि आराजी
परगना	:	बिजनौर
ग्राम	:	कल्ली पश्चिम
सम्पत्ति सं०	:	खसरा संख्या - 2438मि०, 2439मि०, 2974मि० का सम्पूर्ण भाग व 2241 का बकदर भाग
मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.9690 हेक्टेयर
सड़क की स्थिति	:	रायबरेली रोड से 2 किलोमीटर से भी अधिक दूर हैं।
सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि आराजी

चौहद्दी खसरा सं०- 2438मि०

पूरब	:	खसरा सं० - 2438 का शेष भाग
पश्चिम	:	खसरा सं० - 2438 का शेष भाग
उत्तर	:	खसरा सं० - 2438 का शेष भाग
दक्षिण	:	खसरा सं० - 2438 का शेष भाग



चौहद्दी खसरा सं०- 2439मि०

पूरब	:	खसरा सं० - 2439 का शेष भाग
पश्चिम	:	खसरा सं० - 2439 का शेष भाग
उत्तर	:	खसरा सं० - 2439 का शेष भाग
दक्षिण	:	खसरा सं० - 2439 का शेष भाग

चौहद्दी खसरा सं०- 2974मि०

पूरब	:	खसरा सं० - 3080
पश्चिम	:	खसरा सं० - 2974 का शेष भाग
उत्तर	:	खसरा सं० - 2847, 2974 का शेष भाग
दक्षिण	:	खसरा सं० - 2974 का शेष भाग

चौहद्दी खसरा सं०- 2241

पूरब	:	खसरा सं० - 2240
पश्चिम	:	खसरा सं० - 2242
उत्तर	:	खसरा सं० - 2244
दक्षिण	:	खसरा सं० - 2238

विकेता का विवरण:-

चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी - ग्राम जनकपुरी , तहसील -
माँट व जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश) ।

.....विकेता/प्रथम पक्ष



केता का विवरण:-

गर्व बिल्डटेक प्रा० लि० (PAN NO.- AADCG1919Q) कार्यालय-10, एल०एस०सी०, कालका जी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व० श्री पारस नाथ उपाध्याय, निवासी- 7, एल०एस०सी०, कालका जी, नई दिल्ली ।

.....केता/द्वितीय पक्ष

विकय - विलेख

मनकि चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी - ग्राम जनकपुरी , तहसील - माँट व जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश) का (विकेता) है।

जो कि भूमि खाता सं० - 1485 के खसरा सं० - 2438मि० रकबा 0.1510 हे०, खसरा सं० - 2439मि० रकबा 0.2530 हे० व खाता सं० - 1418 के खसरा सं० - 2974मि० रकबा 0.4040 हे० का सम्पूर्ण भाग व खाता सं० - 0143 के खसरा सं० - 2241 रकबा 0.3220 हे० का बकदर भाग, इस प्रकार कुल विक्रीत रकबा- 0.9690 हे० स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील- सरोजनीनगर व जिला लखनऊ, जिसका कि विकेता उपरोक्त मालिक कामिल व काबिज है। उक्त भूमि विकेता ने जरिये बयनामा कय किया था जिसका दाखिल खारिज हो चुका है तथा राजस्व अभिलेखों में संकमणीय भूमिधरी में विकेता का नाम



दर्ज है। विक्रेता को जिलाधिकारी लखनऊ के पत्रांक सं०-168/डी०एल०आर०सी /16 के आदेश दिनांक 03.11.2016 व संशोधित पत्रांक सं०-168(1)/डी०एल०आर०सी /16 के आदेश दिनांक 30.12.2016 द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न मे० गर्व बिल्डटेक प्रा० लि० कार्यालय-10, एल०एस०सी०, कालका जी नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व० श्री पारस नाथ उपाध्याय के पक्ष में विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त आराजी समस्त प्रकार के भारों व विवादों अजकिस्म रेहन, बय, हिबा, जमानत, कुर्की, मुकदमा आदि से पूर्णतया बरी व पाक-साफ है जिसको विक्रय आदि करने का विक्रेता को मालिकाना हक हासिल है।

अब विक्रेता ने बजरुरत खुद खूब सोच व समझ कर प्रसन्न चित्त मन से बिना किसी जोर दबाव नाजायज के अपने पूर्ण होशो-हवास में उसी आराजी को बिलएवज मुबलिंग रु० 1,16,28,000/- (एक करोड़ सोलह लाख अट्ठाईस हजार रुपये) जिसके आधे मुबलिंग रु० 58,14,000/- (अट्ठावन लाख चौदह हजार रुपये) होते हैं, में बदस्त केता "गर्व बिल्डटेक प्रा० लि०" कार्यालय-10, एल०एस०सी० कालका जी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व० श्री पारस नाथ उपाध्याय को बय-फरोखत कत्तई किया यानी बेच दिया और कुल विक्रय धनराशि अन्त में दिये गये विवरण के अनुसार केता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना आराजी विक्रयशुदा पर आज से बजाय अपने केता का बखूबी करा दिया।

अब विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान का कोई हक या हिस्सा विक्रीशुदा आराजी में शेष नहीं रहा। अगर कोई दीगर शख्स अपना हक या दावा करे

तो दावा उसका बातिल व नाजायज करार दिया जावे और अगर किसी शख्स की दावेदारी या हकदारी या उज्रदारी से आराजी विक्रीशुदा केता के कब्जे से निकल जावे या कब्जा न रहे या मिलिकयत या हकीयत विक्रेता की करार न पाई जाय या अन्य किसी प्रकार से विवादित या भार ग्रसित पायी जाय तो ऐसी तमाम सूरतों में केता व उसके वारिसान व कायम मुकामान को हक हासिल होगा कि वह अपना कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा व खर्चा के विक्रेता या उनके वारिसान व कायम मुकामान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे, कोई उज्र नहीं होगा। विक्रीशुदा आराजी को केता सरकारी कागजात में अपने नाम दर्ज करवा लेवे, कोई उज्र नहीं होगा। विक्रीशुदा आराजी पर कोई पेड़, कुंआ, बोरिंग व निर्माण आदि नहीं है, कहीं-कहीं पर उबड़ खाबड़ व छोटे-बड़े गड्ढे है। विक्रीशुदा आराजी मुख्य सड़क रायबरेली रोड़ से 2 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रीशुदा आराजी नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। आराजी मुबइया के 50 मीटर व 200 मीटर की त्रिज्या में कोई आबादी नहीं है।

विक्रीशुदा आराजी कृषि आराजी है जिसका कुल रकबा 0.9690 हेक्टेयर है तथा जिसकी मालियत श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय लखनऊ द्वारा निर्धारित वर्तमान दर रूपये 1,20,00,000/- प्रति हे० के हिसाब से कुल रू० 1,16,28,000/- होती हैं। मालियत मूल्य पर शासकीय शासनादेश संस्थागत वित, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना सं०-स.वि.क.नि.5-2756 /11-2008-500(165)/2007 दिनांक 30.06.2008 के अनुसार 7 प्रतिशत की दर से मु० रू० 8,15,000/- का जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है।



विकेता अनुसूचित जाति व केता सामान्य जाति के सदस्य हैं। विकेता व केता का पता उपरोक्त ही है। विक्रीशुदा आराजी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय मार्ग व लिंक रोड के किनारे स्थित नहीं हैं।

प्रस्तुत लेखपत्र में उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गए कागजात व उनके द्वारा बताये गए तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख अपनी खुशी व रजामन्दी से पूर्ण होशों हवाश में बिना किसी जोर दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क के रुबरु गवाहन केता उक्त के पक्ष में निष्पादित कर दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

विवरण भुगतान

1. रुपये 1,15,11,720/- (एक करोड़ पंद्रह लाख ग्यारह हजार सात सौ बीस रुपये) जरिये चेक संख्या - 091018 दिनांक 24.03.2017, जारीकर्ता बैंक - एक्सिस बैंक शाखा मालवीय नगर नई दिल्ली।
2. रुपये 1,16,280/- (एक लाख सोलह हजार दो सौ अस्सी रुपये) टी0डी0एस0 काट लिया है।



इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रुपये 1,16,28,000/- (एक करोड़ सोलह लाख अट्ठाईस हजार रुपये) विक्रेता ने क्रेता से समक्ष गवाहान प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा है।

लखनऊ

दिनांक : 24.03.2017

गवाहान :-

Shri Vasava

1. शरद चन्द्र श्रीवास्तव
पुत्र हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव
पता- मो0 ब्रम्हस्थान, जिला- आजमगढ़



ह0 विक्रेता



PAN- AA EPS 403 L



A

2. Ramesh Kumar Pandey s/o
Late Ishwarayan Pandey
Baz Bahar Azadgarh.



टाईपकर्ता :-
(आकाश दीप वर्मा)

सदर तहसील, लखनऊ

मसविदाकर्ता:-

(ब्रजेश कुमार पाण्डेय)

एडवोकेट

सदर तहसील, लखनऊ

9415001452

मानचित्र

भूमि खसरा न० - 2438मि०, 2439मि० स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ ।




ह० विकेता



मानचित्र

भूमि खसरा न० - 2974मि० स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ ।




ह० विकेता



मानचित्र

भूमि खसरा न० - 2241 स्थित ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ ।



ह० विकेता

Gary Builders
Pvt. Ltd.
ह० विकेता

आज दिनांक 24/03/2017 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 22094

पृष्ठ सं. 71 से 92 पर क्रमांक 3588

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


एस0 बी0 सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

24/3/2017



जिला : सुल्तानपुर
Address :
H.No. : 25
Vill/Mohalla : Pratappur Sulempur
Tehsil : Kadipur
Dist. : Sultanpur

निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर को अनुकूलि
निर्वाचन क्षेत्र 128-कादीपुर (अ.जा.)
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
for 128-Kadipur (S.C.) A.C.

स्थान : कादीपुर
Place : Kadipur

दिनांक : 01/05/95
Date

इस पत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत पहचान
पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card can be used as an Identity Card under
different Government Programmes.

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र
IDENTITY CARD
UP/2E/128/393271



निर्वाचक का नाम : अशोक कुमार
Elector's Name : Ashok Kumar
पिता/माता/पति का नाम : पारस नाथ
Father's/Mother's/
Husband's Name : Paras Nath
लिंग / Sex : पुरुष Male
1.1.1995 को आयु : 31
Age as on 1.1.1995

8/16/1978
[Signature]



भारत निर्वाचन आयोग
पहचान पत्र

ELECTION COMMISSION OF INDIA
IDENTITY CARD

TCI2282986



निर्वाचक का नाम :

शरद चन्द्र

Elector's Name :

SHARAD CHANDRA

पिता का नाम : हरिश्चन्द्र

Father's Name : HARISHCHANDRA

लिंग / Sex : पुरुष / Male

जन्मतिथि/ DOB : 03/06/1983

TCI2282986

पता - म.सं.79,
करतारपुर,
करतारपुर, थाना-कन्धरापुर,
तहसील-आजमगढ़ सदर, जिला-आजमगढ़
पिनकोड -276001

Address- HNo.79,
KARTARPUR,
KARTARPUR, PS-KANDHRAPUR,
TEH-AZAMGARH SADAR, DIST-Azamgarh
Pincode-276001

Date: 25-12-2012

347 - आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक
रजिस्ट्रार/अधिकारी के हस्ताक्षर की
अनुमति

Facsimile Signature of the Electoral
Registration Officer for 347 - Azamgarh
- Constituency


97/953

पता बदलने पर, नये पते पर अपना नाम
निर्वाचक नामावली में दर्ज करवाने तथा उस
पते पर इसी नम्बर का कार्ड पाने के लिए
सम्बंधित फार्म में यह कार्ड नम्बर अवश्य लिखें
In case of change in address, mention this Card
No. in the relevant Form for including your
name in the roll at the changed address and to
obtain the card with the same number.

Chinestava
9580795987

DL 129999/1944

Jaffna



Name and designation of the Authority who conducted test

is licensed to drive throughout India

Description

Motor Cycle with Gear/Without Gear
Aster/Krishna

Light Motor Vehicle (NT/Transport)

Tractor/valde-Carriage/Road Roller

Medium Goods/Passenger Vehicle (Transport)

H.G. Vehicle

on Motor Vehicle

his license is valid

on 5/5/56 to 30/5/56

Licence of Authority

Jaffna

A

0791333305

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ ।

संख्या 163 / डीएलआरसी / 16

दिनांक 03-11-2016

आदेश

श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी - ग्राम जनकपुरी, तहसील - मॉट व जिला - मथुरा (उ०प्र०) के अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के भूमि विक्रय अनुमति प्रार्थनापत्र दिनांक 25.06.2016 पर उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ से प्राप्त जाँच आख्या दिनांक 14.10.2016 के क्रम में अपर कलेक्टर के अनुमोदन दिनांक 27.10.2016 द्वारा श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी - ग्राम जनकपुरी, तहसील - मॉट व जिला - मथुरा (उ०प्र०) को ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 2438मि/0.1510, 2439मि/0.2530, 2974मि/0.4040, 2241/0.1610, 3165मि/0.4040, 2974मि/0.4040, 3242मि/0.1900, 3288स/0.2150, 3241मि/0.3160, 2435मि/0.2530, 2354मि/0.2530, 2354मि/0.2530 एवं ग्राम माती परगना बिजनौर तहसील सरोजनी नगर व जिला लखनऊ के नाम गाटा संख्या 1563/0.0229, 1015स/0.0111, 1090/0.0248, 1091/0.0064, 1095स/0.0316, 1099स/0.0285, 1100/0.0026, 1102/0.0058, 1103/0.0016, 1109स/0.0155, 1127/0.0174, 879/0.0346, 880/0.0068, 1896/0.0885 इस प्रकार कुल 4.6535हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति से एवं बिडेडक प्रा०लि० कार्यालय 10, एल०एस०सी० कालका जी, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री अशोक कुमार उपाध्याय पुत्र स्व० पारसनाथ उपाध्याय, निवासी-7, एल०एस०सी० कालका जी, नई दिल्ली के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- विक्रीत भूमि को स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है संज्ञान में आता है तो तत्कम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।
- 2- उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 99 के प्रस्तर 8(ड) में उल्लिखित है कि जहां विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा, और तदनुसार राजस्व संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 3- उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

प्रभारी अधिकारी (भू०व्य०)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि-

- 1- श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी - ग्राम जनकपुरी, तहसील-मॉट व जिला- मथुरा (उ०प्र०)
- 2- तहसीलदार सरोजनीनगर, लखनऊ।
- 3- उप निबन्धक, तहसील सदर, लखनऊ।

प्रभारी अधिकारी (भू०व्य०)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ।

संख्या 168(1)/डी0एल0आर0सी0/16

दिनांक: 30-12-2016

संशोधित आदेश

श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी- ग्राम जनकपुरी, तहसील- मॉट व जिला- मथुरा (उ0प्र0) के प्रार्थनापत्र दिनांक 5.12.2016/21.12.2016 के क्रम में पूर्व में जारी भूमि विक्रय अनुमति आदेश संख्या 168/डीएलआरसी/16 दिनांक 03.11.2016 में तीन माह का समय प्रदान किया जाता है, शेष आदेश पूर्ववत रहेगा। अनुमति निर्गत तिथि से तीन माह तक अनुगन्ध होगी।

प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

प्रतिलिपि:-

1. श्री चरन सिंह पुत्र श्री विजयपाल सिंह, निवासी- ग्राम जनकपुरी, तहसील- मॉट व जिला- मथुरा (उ0प्र0)।
2. तहसीलदार, तहसील सरोजनीनगर, लखनऊ।
3. उप निबधक तहसील सदर, लखनऊ।

प्रभारी अधिकारी (भू0व्य0)
कृते जिलाधिकारी
लखनऊ।

①

कार्यालय

उपजिलाधिकारी

मॉट,

मथुरा

प्रारूप-2

संख्या- 14208200320

दिनांक - 29.9.08

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार मॉट की जाँच आख्या दिनांक 29-9-08 के आधार पर

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि

श्री/श्रीमती/कुमारी चरन सिंह

पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी विजयपाल सिंह

निवासी मकान नम्बर जनकपुर 2005 इ.क.म

ग्राम/मौहल्ला जनकपुर थाना मॉट

जनपद मथुरा उत्तर प्रदेश का/की निवासी

हैं व उनका वर्तमान पता उपरोक्त



है।

2. उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने (Ordinarily Resident) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

दिनांक: 29-9-08

8858445623



हस्ताक्षर

उपजिलाधिकारी मॉट, मथुरा
जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी
का नाम व मुहर

(नोट: उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आदेवन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नविद् हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।)